जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/rtiexpose/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 11 मार्च 2021

फर्जी अविदक,भ्रष्ट तहसीलदार और बिके हुए पटवारी का कारनामा!!!

भाग-1

फर्जी क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट से हासिल की केन्द्रीय सार्वजनिक विभाग में नौकरी!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

वर्ष 2010-12 का है मामला|

उदयपुर निवासी प्रीती वर्मा ने गिर्वा तहसील के तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी से सांठ गाँठ कर हासिल किया फर्जी नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट

वर्ष 2010 में हिंदुस्तान जिंक में AGM पोस्ट पर कार्यरत अपने पिता की तनख्वाह छुपायी:यह पूरा मामला उदयपुर की गिर्वा तहसील से जुड़ा हुआ है,उदयपुर कलेक्टर कार्यालय से महज कुछ किलोमीटर दुरी पर ही गिर्वा तहसील का कार्यालय है|परन्तु इस तहसील में भ्रष्टाचार इतना है जितना जिला मुख्यालय से दूर स्थित गाँवों में भी नहीं होता है|इसी तहसील में सुरेन्द्र कुमार वर्मा का परिवार निवास करता है जो स्वयं कई वर्षों से हिन्दुस्तान जिंक लि. में AGM पोस्ट पर कार्यरत रहे है|उनकी पत्नी श्रीमति भाग्यवती वर्मा भी कई वर्षों से सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत रही है|वर्ष 2010 में सुरेन्द्र कुमार वर्मा की

पुत्री श्रीमति प्रीति वर्मा(जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है) द्वारा राज्य के पिछड़े वर्ग में होने तथा क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने के प्रमाण पत्र हेतु गिर्वा तहसील में आवेदन किया|अपने आवेदन में श्रीमति प्रीति वर्मा द्वारा यह बताया गया कि उनकी माताजी जो कि सरकारी स्कूल में अध्यापिका है और उनकी तनख्वाह क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने के मानदंडों जो कि 4.5 लाख थी,से कम है|उनके द्वारा गिर्वा तहसील के अधिकारीयों और कर्मचारियों(तहसीलदार और पटवारी) से सांठ-गाँठ कर इस तथ्य को छुपा लिया गया कि उनके पिता हिन्दुस्तान जिंक लि. में AGM पोस्ट पर कार्यरत है|जानकारी के अनुसार उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके पिता घर पर ही एक किराने की दूकान चलाते है|इस प्रकार गिर्वा तहसील द्वारा क्रमांक 2010/7518 दिनांक 03/08/2010के जरिये उन्हें राज्य के पिछड़े वर्ग में होने तथा क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने के प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया|

वर्ष 2012 में पुनः सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अपने पिता की तनख्वाह और विवाह का तथ्य छुपाया:वर्ष 2011 में श्रीमति प्रीति वर्मा का विवाह दिल्ली के अभिनव कुमार के साथ हो गया जो कि उस समय केन्द्र के सरकारी विभाग में पदस्थापित थे और अच्छी खासी सरकारी तनख्वाह उठा रहे थे|तब तक श्रीमति प्रीति वर्मा की सरकारी नौकरी नहीं लगी थी|इसी दरमियान श्रीमति प्रीति वर्मा का केन्द्रीय सार्वजनिक विभाग में चयन हो गया|चूँकि इस प्रमाण पत्र की अवधि 6 माह तक ही होती है अतः श्रीमति प्रीति वर्मा को राज्य के पिछड़े वर्ग में होने तथा क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने के प्रमाण पत्र की पुनः आवश्यकता पड़ी|लेकिन यदि वह अपने पति की तनख्वाह के आधार पर क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने का प्रमाण पत्र बनवाती तो 4.5 लाख से ज्यादा होने के नियम के तहत उनका यह सर्टिफिकेट नही बनता|

जिसके चलते श्रीमति प्रीति वर्मा द्वारा श्री अभिनव कुमार के साथ अपने विवाह के तथ्य को छिपाते हुए अपने पिता श्री सुरेन्द्र कुमार के पते पर उनकी पुत्री बताते हुए पुनः राज्य के पिछड़े वर्ग में होने तथा क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया|चूँकि उनकी पूर्व में गिर्वा तहसील के अधिकारीयों से सांठ-गाँठ थी अतः उन्हें पुनः यह प्रमाण पत्र

हासिल करने में देर नहीं लगी और उनके द्वारा अपने पिता की आय को छिपाते हुए क्रमांक 2012/1118 दिनांक 05/03/2012 को पुनः प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया|इस प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमति प्रीति वर्मा को सार्वजनिक निर्माण विभाग,भारत सरकार में JEN के लिए चयन कर लिया गया|वर्तमान में वह AEN के पद पर सार्वजनिक निर्माण विभाग,भारत सरकार के दिल्ली कार्यालय में पदस्थापित है|

श्रीमति प्रीति वर्मा और गिर्वा तहसील के तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी के मध्य सांठ गाँठ से जारी किये गए फर्जी प्रमाण पत्र के गौरख धंधे को उजागर करने के लिए तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत किये थे तीन सुचना आवेदन|

इस फर्जी मामले की जानकारी होने पर हमारे द्वारा गिर्वा तहसील के तहसीलदार और लोक सुचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 26/10/2020 को तीन सुचना आवेदन पत्र प्रस्तुत किये और गिर्वा तहसील के तहसीलदार श्री युवराज कौशिक को मामले की गंभीरता बताते हुए उनको उनके मोबाइल न. पर इत्तला भी की|परन्तु जैसा कि होता आया है पूरा तहसील महकमा सुचना देने की बजाय इस मामले पर पर्दा डालने में लग गया और तहसीलदार श्री युवराज कौशिक द्वारा नियत समय पर सुचना नहीं दी|जिससे व्यथित होकर हमारे द्वारा उदयपुर कलेक्टर और प्रथम अपील अधिकारी श्री चेतन राम देवड़ा के समक्ष तीनों अपीले प्रस्तुत की|

तहसीलदार गिर्वा श्री युवराज कौशिक की मिलीभगत और सुचना के प्रवाह में जानबूझ कर बाधा डालने की मंशा हुई

सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख बाते:-

- **तृतीय पक्ष से सहमति/असहमति प्राप्त करना लोक सुचना अधिकारी की जिम्मेदारी|**
- **भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन के मामलों में तृतीय पक्ष की आड़ नहीं ले सकता लोक सुचना अधिकारी|**
- **जो सूचनाये विधानमंडल को दी जा सकती है उसे देने से इनकार नहीं कर सकता लोक सुचना अधिकारी|**
- **यदि दस्तावेजों के निरिक्षण के लिए आवेदन नहीं किया है तो कार्यालय में आने का दबाव नही बना सकते लोक सुचना अधिकारी|**

उजागर,सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरीत आवेदक को ही तृतीय पक्ष की सहमति प्रस्तुत करने और अन्य सूचनाओं के लिए कार्यालय में आकर निरिक्षण करने का दबाव बनाया गया|

हमारे तीनो सुचना आवेदनों के सन्दर्भ में सुचना आवेदन के दो महीने पश्च्यात दिनांक 25/02/2021 को तहसील गिर्वा का एक पत्र साधारण डाक से प्राप्त हुआ जिसमे उनके द्वारा हमारे दो आवेदनों से सम्बंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाने का दावा किया गया(सूत्रों के अनुसार तहसीलदार श्री युवराज कौशिक ने यह दोनों पत्र बेकडेट में जारी किये गए है) | लेकिन अपने पत्रों में तहसीलदार श्री युवराज कौशिक द्वारा जानबूझ कर सुचना के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हुए हमें ही तृतीय पक्ष की सहमति प्रस्तुत करने और अन्य सूचनाओं के लिए कार्यालय में आकर निरिक्षण करने का दबाव बनाया गया|

जवाब मांगते सवाल??

1. कौन थे वर्ष 2010 और वर्ष 2012 में गिर्वा के तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी जिनकी मिलीभगत से इस फर्जी प्रमाण पत्र को जारी किया गया?
2. आखिर क्यों तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी इस तथ्य को नकार गए कि उस समय प्रीति वर्मा के पिता हिंदुस्तान जिंक में AGM के पद पर नही थे?
3. जब प्रीति वर्मा ने अपने पिता को घर में ही दुकान चलाने वाला दूकानदार बताया तो गिर्वा के तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी ने इसकी जांच क्यों नहीं की?
4. जब वर्ष 2011 में प्रीति वर्मा की शादी दिल्ली के अभिनव कुमार के साथ हो गयी थी तो उनके पति की तनख्वाह के आधार पर राज्य के पिछड़े वर्ग में होने तथा क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने का प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया गया?

जाति प्रमाणपत्र फर्जी तो नौकरी शून्य

कड़ा रुख

प्रयागराज | विधि संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सक्षम अधिकारी यदि जाति प्रमाण पत्र को फर्जी घोषित कर देता है तो उसके आधार पर प्राप्त नियुक्ति स्वतः शून्य हो जाएगी। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि विभागीय जांच कराई जाए।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देकर बर्खास्त किया जाना विधि के विपरीत नहीं है। इसलिए आईआईटी कानपुर द्वारा

हाईकोर्ट का फैसला

- केवट ने मझवार जाति बता पाई थी आईआईटी में नौकरी
- बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

विभागीय अनुशासनिक जांच कार्रवाई कर याची को बर्खास्त करना नियमों के विपरीत नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रमाकांत की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। आईटीआई कानपुर की ओर से अधिवक्ता रोहन गुप्ता एवं केंद्र सरकार के अधिवक्ता सभाजीत सिंह ने याचिका का प्रतिवाद किया। याची आईआईटी कानपुर में बस कंडक्टर नियुक्त किया गया था। उसने यह नियुक्ति स्वयं के अनुसूचित जाति मझवार के प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की थी। इसकी शिकायत की गई तो तहसीलदार की जांच के बाद याची के केवट जाति का पाया गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। इस पर याची के जाति प्रमाणपत्र को गलत बताते हुए रद्द कर दिया गया।

पार्किंग नहीं तो व्यावसायिक

5. कौन है वह सूत्रधार जिसने अपने राजनैतिक रसुखातों के जरिये इस आपराधिक कृत्य को अंजाम देने में प्रीति वर्मा की मदद की?
6. आखिर क्या वजह है कि गिर्वा तहसीलदार श्री युवराज कौशिक के निजी संज्ञान में होने के बावजूद वह इस मामले को रफा-दफा करना चाहते है?जबकि हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत इस प्रकरण को उजागर करने हेतु हमें सम्बंधित सुसंगत साक्ष्यों के रूप में तहसील कार्यालय में संधारित उन दस्तावेजों की आवश्यकता है,जिन गलत/कूट-रचित/झूठे दस्तावेजों के आधार पर आवेदक द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाये गए है|
7. आखिर क्यों गिर्वा तहसीलदार श्री युवराज कौशिक द्वारा इन्ही सूचनाओं को एक अन्य पक्ष को उपलब्ध करवा दी गयी और हम पर यह सूचनाएं देने के लिए तृतीय पक्ष की सहमति लाने और उदयपुर आकर दस्तावेजों का निरिक्षण कर पैसे जमा करवाने के लिए दबाव बनाया गया?
8. क्या इस मामले में अपराध साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177(झूठी जानकारी देने),धारा 193(गलत सबूत देने),धारा 197(गलत प्रमाण पत्र),धारा 198(जानकारी होते हुए भी झूठे दस्तावेज देने),धारा 199(झूठे दस्तावेज बनाने) और धारा 200(जानकारी होते हुए भी झूठा घोषणा पत्र देने) के तहत कार्यवाही संभव है?
9. क्या यह मामला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आने के बाद वह इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे?
10. क्या जाँच में दोषी सिद्ध होने पर तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?

11. क्या प्रीति वर्मा को राज्य के पिछड़े वर्ग में होने तथा क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने हेतु जारी प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाकर,केन्द्रीय सार्वजनिक विभाग को सूचित किया जायेगा?

12. क्या केन्द्रीय सार्वजनिक विभाग द्वारा प्रीति वर्मा को फर्जी दस्तावेजों पर प्राप्त की गयी नौकरी से बर्खास्त किया जाकर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जायेगा?

13. आखिर क्यों कार्यपालक तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडनायक तहसील गिर्वा के पद पर काबिज श्री युवराज कौशिक अपने पद की गरिमा को कायम नहीं रख पाए?आखिर क्या वजह है जो वह इस भ्रष्टाचार में लिप्त आवेदक,उसके परिजनों और सरकारी अधिकारीयों को बचा रहे है?

14. क्या श्री युवराज कौशिक IPC की धारा 201(अपराध के साक्ष्य का विलोपन,अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना) के तहत दोषी नहीं है?

15. कौन है वह महिला पटवारी/कर्मचारी जो इस मामले को उजागर करने वाले व्हिसिलब्लोअर पर मामला शांत करने का लगातार दबाव बना रही है?

16. गिर्वा तहसील द्वारा आज दिनांक तक ऐसे कितने फर्जी सर्टिफिकेट जारी किये गए है?इसकी जांच कौन करेगा?

17. वर्मा परिवार के और कितने सदस्यों द्वारा ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर विभिन्न स्तरों पर लाभ प्राप्त किये गए है?

18. क्या गिर्वा तहसीलदार और पदेन लोक सुचना अधिकारी श्री युवराज कौशिक जानबूझ कर सुचना के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने के दोषी नहीं है?

19. क्या राज्य सुचना आयोग उनके इस कृत्य के विरुद्ध उन पर जुर्माना लगायेगा या नहीं?

कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी(तहसीलदार) गिर्वा
जिला– उदयपुर

कमांकः– भू0अ0/सूअअ/2005/2020/2532-33 दिनांकः 10/11/2020

निमित्त,

श्री ज्ञानेश कुमार
एस–1 सेकंड फलोर
झारखंड अपार्टमेंट, सगतसिंह मोड़
जनरल सगत सिंह मार्ग
खातीपुरा,जयपुर
302012
मो. 99828346151

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वारा चाही गई सूचना के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर कार्यपालक तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडनायक तहसील गिर्वा द्वारा श्रीमती/कु. प्रति वर्मा पुत्री सूरेन्द्र वर्मा नि. 22 खाराकुआं के पक्ष में 05.03.12 को प्रमाण पत्रांक 1118/2012 के जरिये पिछड़ा वर्ग एवं कीमीलेयर में नहीं होने का जारी प्रमाण पत्र एवं संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई है।

उक्त वांछित सूचना के बिंदु सं. 1 के भाग A तथा B से संबंधित सूचना आर.टी. आई. एक्ट की धारा 8(1)(ञ) के तहत तृतीय पक्षकार(प्रीती वर्मा पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा) से संबंधित होने से तृतीय पक्षकार की सहमति संलग्न किया जाना आवश्यक है अतः सहमति पत्र संलग्न कर भिजवावें।

(युवराज कौशिक)
सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार–गिर्वा
जिला–उदयपुर।

प्रतिलिपिः– श्रीमती/कु. प्रीति वर्मा पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी 22 खारा कुआ उदयपुर को भेजकर लेख है कि कार्यपालक तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडनायक तहसील गिर्वा द्वारा दिनांक 05.03.12 को प्रमाण पत्र 1118/2012 के जरिये पिछड़ा वर्ग एवं कीमीलेयर में नहीं होने का जारी प्रमाण पत्र से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है अतः आप उक्त कम में अपनी सहमति /असहमति प्रस्तुत करे।

—sd—
सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार–गिर्वा
जिला–उदयपुर।

हमारे सुचना आवेदन के क्रम में श्री युवराज कौशिक द्वारा तृतीय पक्ष से सहमति लाने के लिए लिखा गया पत्र|

सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपना कृत्यों का भंडाफोड़ करने के लिए सहमति देगा?

कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी(तहसीलदार) गिर्वा
जिला– उदयपुर

कमांकः– भू0अ0/सूअअ/2005/76/2020/2560 दिनांकः 13/11/2020

निमित्त,

श्री ज्ञानेश कुमार
एस–1 सेकंड फलोर
झारखंड अपार्टमेंट, सगतसिंह मोड़
जनरल सगत सिंह मार्ग
खातीपुरा,जयपुर
302012
मो. 99828346151

सहायक लोक सूचना अधिकारी * प्रार्थना–पत्र क्रमांक 76 दिनांक 2/11/2020 * कार्यालय तहसीलदार–गिर्वा

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वारा चाही गई सूचना के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर चाही गई बिंदुवार सूचना के कम में लेख है कि–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप द्वारा वांछित सूचना जिसमें अवधि 01जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 (एक वर्ष) में कार्यालय द्वारा जारी होने वाले पिछड़ा वर्ग एवं कीमीलेयर(सम्पन्न वर्ग) में नहीं होने के समस्त आवेदकों के नाम,पते एवं सम्पर्क सूत्र की जानकारी चाही गई है उक्त वांछित जानकारी आवेदकों के व्यक्तिगत सूचना होने से उक्त सूचना हेतु उन समस्त आवेदकों की सहमति संलग्न किया जाना आवश्यक है अतः आप सहमति संलग्न कर भिजवाये।सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव है।
2. आप द्वारा अवधि जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012 (एक वर्ष) में कार्यालय द्वारा जारी होने वाले पिछड़ा वर्ग एवं कीमीलेयर(सम्पन्न वर्ग) में नहीं होने के समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति चाही गई है। इस कम में आपको भेजकर लेख है कि आप स्वंय कार्यालय समय में उपस्थित होकर उक्त अवधि के रेकॉर्ड का अवलोकन कर अनुपातिक रूप से छायाप्रति शुल्क एवं 2रू. प्रति पृष्ठ शुल्क वहन करने को तैयार हो तो ही सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा।
3. सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क जमा करवा कर आप द्वारा वांछित सूचना प्राप्त की जा सकेगी।
4. सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क जमा करवा कर आप द्वारा वांछित सूचना प्राप्त की जा सकेगी।
5. सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क जमा करवा कर आप द्वारा वांछित सूचना प्राप्त की जा सकेगी।
6. इस सूचना को उपलब्ध कराने वाले सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन तहसीलदार गिर्वा श्री युवराज कौशिक है।

हमारे सुचना आवेदन के क्रम में श्री युवराज कौशिक द्वारा तृतीय पक्ष से सहमति लाने और तहसील कार्यालय में आकर दस्तावेजों का अवलोकन कर पैसे जमा करवाने हेतु लिखा गया पत्र|

(युवराज कौशिक)
सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार–गिर्वा
जिला–उदयपुर।

परिशिष्ट ख–1

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक

तहसील जिला–उदयपुर (राज.)

तहसील, गिर्वा, जिला–उदयपुर

❋ राज्य के अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र ❋

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) नहीं होने के प्रमाण पत्र *

क्रमांक : 1118 2012 ym दिनांक : 05/03/2012

यह प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री /सुश्री /श्रीमति प्रिति वर्मा

पुत्र / पुत्री/ पत्नी सुरेन्द्र कुमार वर्मा

निवासी 22 खारा कुआ उदयपुर

शहर/ग्राम 22 खारा कुआ उदयपुर

जिला उदयपुर राजस्थान उदयपुर

के/की निवासी है तथा ये / और इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते हैं।

उक्त श्री /श्रीमति /कुमारी प्रिति वर्मा राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प. 11 (164) आर.एण्ड पी./ एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गो की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गो में से माली–49 वर्ग / जाति के /की सदस्य है।

श्री /श्रीमति /कुमारी प्रिति वर्मा आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रीमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.प. 7(8) कार्मिक / क–2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का / की नही है।

तहसीलदार
जिला–उदयपुर (राज.)
जिला उदयपुर (राजस्थान)

~~और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)~~

प्रीति वर्मा को दिनांक 05/03/2012 को जारी किया गया क्रीमीलेयर(संपन्न वर्ग) में नहीं होने का प्रमाणपत्र,जिसमे तत्कालीन जारीकर्ता तहसीलदार ने अपना नाम नहीं लिखना उचित समझा है|

APPENDIX-VIII

(FORMAT OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASS APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

Certificate No. **Date:**

This is to certify that ..PREETI VERMA............son/ daughter of SURENDRA KUMAR VERMA village....UDAIPUR......District/ Division ..UDAIPUR........... in the RAJASTHAN.... State belongs to the ......MALI........... Community which is recognized as a backward class under:

i. Resolution No 12011/68/93-BCC dated 10th September 1993, published in the Gazette of India Extra Ordinary – Part I, Section I, No 186 dated 13th September, 1993.
ii. Resolution No 12011/9/94-BCC dated 19.10.1994, published in the Gazette of India Extra Ordinary – Part I, Section I, No 163 dated 20th October 1994..
iii. Resolution No 12011/7/95-BCC dated 24th May 1995, published in the Gazette of India Extra Ordinary – Part I, Section I, No 88 dated 25th May 1995.
iv. Resolution No 12011/96/94-BCC dated 9th March 1996..
v. Resolution No 12011/44/96-BCC dated 6th December 1996, published in the Gazette of India Extra Ordinary – Part I, Section I, No 210 dated 11th December 1996.
vi. Resolution No 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997.
vii. Resolution No 12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997.
viii. Resolution No 12011/68/98-BCC dated 27th October, 1999.
ix. Resolution No 12011/88/98-BCC dated 6th December 1999, published in the Gazette of India Extra Ordinary – Part I, Section I, No 270 dated 6th December, 1999.
x. Resolution No 12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000, published in the Gazette of India Extra Ordinary – Part I, Section I, No 71 dated 4th April, 2000.
xi. Resolution No 12011/44/99-BCC dated 21.09.2000, published in the Gazette of India Extra Ordinary – Part I, Section I, No 210 dated 21.09.2000.

Shri/ Ms. ....PREETI VERMA.................... and /or his family ordinarily reside(s) in the ..UDAIPUR......District/ Division of the .RAJASTHAN.............State. This is also to certify that he/ she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in the Coolum 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.1993 and modified vide Government of India of Personnel & Training OM No 36033/3/2004-Estt. (SCT) dated 04.10.2008.

तहसील गिर्वा द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 7518 दिनांक 3-8-2010 के आधार पर
Certificate No जारी किया गया

तहसीलदार-गिर्वा
District Magistrate ... उदयपुर (राजस्थान) ...missioner etc

Seal:

Note: a. The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
b. The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:

i. District Magistrate/ Additional Magistrate/ Collector/ Dy. Commissioner/ Additional Dy. Commissioner/ Dy. Collector/ Ist Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate)
ii. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
iii. Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.
iv. Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

प्रीति वर्मा को जारी सर्टिफिकेट में उन्हें और उनके परिवार को उदयपुर निवासी बताया गया है जबकि उस समय उनकी शादी दिल्ली निवासी अभिनव कुमार से हो चुकी थी|

जारीकर्ता तहसीलदार महोदय ने दो साल पुराने जारी किये गए प्रमाणपत्र 7518 दिनांक 03/08/2010 के आधार पर ही इसे जारी भी कर दिया गया

सूचना का अधिकार अधिनियम 200
तहत जारी की गई सूचना/प्रतिलिपि

कार्यालय तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर

क्रमांक : 2010/7518 दिनांक : 3-8-2010

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी प्रिति वर्मा

सुपुत्र / सुपुत्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा गांव / नगर उदयपुर

जिला खण्ड उदयपुर राज्य सरकार द्वारा जारी

अधिसूचना के लिए पिछड़े वर्गों की अधिसूची व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से माली

वर्ग / जाति के सदस्य है। श्री प्रिति वर्मा

और या उसका कुटुम्ब उदयपुर राज्य के राजस्थान

जिला / खण्ड गिर्वा में स्थायी तौर से निवास करता है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना संख्या प.9 / 8 कार्मिक / क–5 / 90 दिनांक 28.09.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लेखित अपवर्तन का नियम इन पर लागू नहीं होता है। अर्थात् उक्त अनुसूचि में वर्णित व्यक्तियों / वर्गों / क्रिमीलियर का नहीं है।

दिनांक : 2-8-2010

हस्ताक्षर
तहसीलदार–गिर्वा
जाति उदयपुर (राजस्थान) करने वाले
अधिकारी

मोहर
ATTESTED
MRS HAMID
NOTARY
UDAIPUR (RAJ.)
5-312

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
तहत जारी की गई सूचना/प्रतिलिपि

प्रमाणपत्र 7518 दिनांक 03/08/2010 की प्रति

प्रेस, उदयपुर 2416176

अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
तहत जारी की गई सूचना/प्रतिलिपियां

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार साहब

तहसील - गिर्वा

जिला - उदयपुर

1. प्रार्थी का नाम प्रीति वर्मा
2. पिता/पति का नाम व व्यवसाय सुरेन्द्र कुमार वर्मा
3. आयु 27 वर्ष जाति माली जन्म स्थान उदयपुर

(मय तहसील, जिला एवं राज्य के)

22 खारा कुआ

तहसीलदार गिर्वा जिला-उदयपुर (राज.)

4. प्रार्थी के पिता और माता केन्द्रीय/राज्य/अन्य सेवा में हो तो सेवा का पूर्ण विवरण :-

प्रथम नियुक्ति पद ________ वेतनमान ________ नियुक्ति तिथि ________

पदोन्नति के समय आयु ________ वर्तमान पद ________ वर्तमान वेतनमान ________

5. जाति माली 6. उपजाति ________
7. श्रेणी ________ (क्रिमीलियर की श्रेणी में आता है या नहीं)

मैं इस आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
तहत जारी की गई सूचना/प्रतिलिपियां

1. राशन कार्ड की सत्यापित प्रति। ☐
2. पटवार हल्का रिपोर्ट। (पृष्ठांकित प्रारूप 1) ☐
3. दस रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी आंथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित शपत्र पत्र (संलग्न प्रारूप 2) ☐
4. माता / पिता के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेतन प्रमाण-पत्र। (यदि लागु हो) ☐
5. आवेदक के स्वयं / माता / पिता के आयकर दाता होने की स्थिति में गत वर्ष की आयकर विवरणिका की सत्यापित प्रति। (यदि लागु हो) ☐

अतः कृपया अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति माली *का प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।*

प्रार्थी / प्रस्तुतकर्त्ता के हस्ताक्षर

दिनांक ....

नाम

आवेदन पत्र,जिसमे स्वयं/माता-पिता के आयकर दाता होने की स्थिति में गत वर्ष की आयकर विवरणिका की प्रति भी संलग्न की जानी थी|

अन्य पिछड़ी जाति की जांच रिपोर्ट पटवारी

(प्रारूप – 1)

प्रार्थी श्री ____________ पिता/पति ____________ आयु ____________

जाति ____________ निवासी ____________

द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच की गई। जांच रिपोर्ट इस प्रकार है –

1 प्रार्थी की जाति जमाबंदी के खाता संख्या ____________ के अनुसार ____________ दर्ज रिकार्ड है।

2 प्रार्थी भूमिहीन है अतः शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं राशन कार्ड में ____________ जाति दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी मूल निवासी ____________ गांव का होकर गांव में इन्हें ____________ जाति का जाना जाता है।

3 यह कि उपरोक्त जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है। प्रस्तुत आवेदन पत्र की गहन जांच करने पर पाया गया कि आवेदक सम्पन्न व्यक्ति (क्रिमीलेयर) की श्रेणी में आता है / नहीं आता है।

4 यह की प्रार्थी, प्रार्थी के पिता राजकीय सेवा में होकर प्रथम नियुक्ति वेतन श्रृंखला 6500/– या अधिक नहीं है।

5 यह कि प्रार्थी, प्रार्थी के माता / पिता आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है।

6 यह कि प्रार्थी / प्रार्थी के माता / पिता राजकीय या निजी नौकरी नहीं करते है अपितु कृषि कार्य करते है। इनके खाते में सिंचित ____________ / असिंचित ____________ हैक्टे/ बीघा भूमि है। सिंचित भूमि से प्रतिवर्ष ____________ रू. की आय तथा असिंचित भूमि से ____×____ रू. की आय होती है। जिससे कृषि से कुल आय ____________ रू. प्रतिवर्ष है।

7 यह कि प्रार्थी / प्रार्थी के माता/पिता ____________ (व्यवसाय /कार्य का नाम अंकित करें) करते है जिससे प्रतिदिन ____________ रूपये के हिसाब से कुल वार्षिक आय रूपये ____400000/-____ होती है।

8 यह कि इस प्रकार प्रार्थी की रोजी / धन्धा एवं नौकरी से परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से मिलाकर ____________ रूपये है।

इस प्रकार प्रार्थी की पारिवारिक आय ____________ रूपये प्रतिवर्ष से कम होने से प्रार्थी को अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र दिये जाने की सिफारिश की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तहत जारी की गई सूचना/प्रतिलिपि

हस्ताक्षर पटवारी (मय सील)

पटवारी की जांच रिपोर्ट,जिसमे पिता की तनख्वाह का जिक्र नहीं है|और परिवार की कुल आय 4 लाख से कम बताई गयी है|

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
तहत जारी की गई सूचना/प्रतिलिपियाँ

तहसीलदार गिर्वा जिला-उदयपुर (राज.)

शपथ पत्र

मैं प्रीति वर्मा पिता/पति सुरेन्द्र कुमार वर्मा जाति माली
उम्र 27 वर्ष निवास का पता 22 रूपाजी का...

1. शपथ पूर्वक निवेदन करता/ करती हूं कि मैं माली जाति से हूं ।
2. यह कि राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जारी अन्य पिछडा वर्ग की सूची में मेरी जाति माली संख्या .... पर दर्ज है
3. मुझे माली जाति के अ.पि.वर्ग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है जो जारी करावें ।
4. यह कि मेरे परिवार की समस्त स्त्रातों से वार्षिक आय 301229 रू. है ।
5. मेरे पिता / माता श्री .... राज्य सेवा/ केन्द्रिय सेवा में .... पद पर कार्यरत है ।
6. मैं राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में आता हूं एवं किमीलीयर की श्रेणी में नहीं आता हूं।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

उपर्युक्त शपथ पत्र मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

M.F.S. HAMIDA RIZVI
NOTARY
UDAIPUR (RAJ.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
तहत जारी की गई सूचना/प्रतिलिपियाँ

5-3-12

प्रीति वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया झूठा शपथपत्र जिसमे उनके द्वारा अपने परिवार की वार्षिक आय 301229 बताई गयी है|

No. 26 /29-04-2011

Form No. 16

[See Rule-31(1)(a)]Certificate under section 203 of I.Tax Act 1961 for TDS

Name & Adress of Employer		Name & Designation of the Employee	
BLOCK ELEMENTRY EDUCATION OFFICER PAN.SAMITI - GIRWA, UDAIPUR		Bhagyawati Varma	
PAN / GIR No.	TAN : JDHB02146E	TEACHER Govt. PS HAKDAR	
		PAN / GIR No.	AAVPV1545Q
Quarter Acknowledgment No.	Period	PERIOD	Assesment Year
I 031790100078520	01.04.10 to 30.06.10	1.4.2010 to 31.3.2011	2011-2012
II 031790100078542	01.07.10 to 30.09.10		
III 031790100082845	01.10.10 to 31.12.10		
IV Applied	01.01.11 to 31.03.11		

DETAILS OF SALARY PAID AND ANY OTHER INCOME AND TAX DEDUCTED

1 Gross Salary — Rs. 316229
2 Less:Allowance to be exempt under section 10 — Rs. 0
3 INCOME CHARGEBLE UNDER THE HEAD SALARIES (1 - 2) — Rs. 316229
4 Any Other Income — Rs. 0
(a) House Property — Rs. 0
(b) Bank FDR/SB Int — Rs. 0
(c) NSC/KVP Int. — Rs. 0
(d) .... — Rs. 0
5 GROSS TOTAL INCOME(4+5) — Rs. 316229
6 DEDUCTION UNDER CHAPTOR VI-A

	Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount	
(a) U/S 80 G	0	0	Rs.	0
(b) U/S 80 U	0	0	Rs.	0
(c) U/S 80 D	15000	15000	Rs.	15000
(d) U/S 80 DD	0	0	Rs.	0
(e) U/S 80 E	0	0	Rs.	0

7 Aggregate of Dedutible amount under Cheptor VI-A — Rs. 15000
8 TOTAL INCOME (5 - 7) — Rs. 301229
9(a) Less : Dedction of Income under section 80C,80CCC,80CCD (Max.limit 1,00,000)

(a) State Ins. 10800 (b) G.P.F. 26514

प्रीति वर्मा की माता श्रीमती भाग्यवती वर्मा को जारी किया गया फॉर्म-16

242.66
...BA 0
...d onNSC 0
...or 2 child) 0
(l) CTD 10/15 Year 0 (m) FD (As per I.Tax Act) 0
(g) ULIP / Mutual Fund /Oth 145000 (n) Contribution to Govt. pention fund u/s 80CCD 0

Aggregate (a) to (o) — Rs. 182557
9(b) Additional maximum 20000/-rebate U/S 80CCF on investment in Infrastructure Bonds — Rs. 20000
10 Net Taxable Income (8-9a-9b) — Rs. 181229
11 (a) Income Tax on above income as per column 10 — 2 Female — Rs. 0
(b) Surcharge 10% If Net Income above Rs. 10,00,000/- — Rs. 0
(c) Education Cess 3% on Tax [14(a+b)] — Rs. 0
(d) TOTAL TAX PAYABLE — Rs. 0

सूचना का अधिकार अधिनियम 200...
तहत जारी की गई सूचना/प्रतिलिपि

12 Less Relief U/S 89(1) — 0
13 Net Income Tax — 0
14 LESS : TAX DEDUCTED AT SOURCE u/s 192(1) — Rs. 0
15 TAX : TO BE PAYABLE / REFUNDABLE — Rs. 0

Detail of Tax Deducted and Deposited into Central Government Acount

S. No.	TDS Rs.	Surcharge Rs.	Education Cess Rs.	Total Tax Deposited Rs.	Chaque/DD No.(if any)	BSR code of bank branch	Date on which Tax deposited	T.V./Challan No.
1				0				
2				0				
3				0				
4				0				
5				0				
6				0				
7				0				
8				0				
9				0				
10								

I Kunj Bihar BHARDWAJ S/O Sh.Rodi Lal Ji working in the capacity of B.E.E.O. do hearby certify that a sum of rupees 0 in words Rupees Nil has been deducted at source and paid to the Central Government. Further certified that the above information is true correct as per records.

ATTESTED
HAMID RIZVI
NOTARY
UDAIPUR (RAJ.)

3.12

वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी

Place : GIRWA (Udaipur)

Signature of ...

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :- ***www.jawabdosarkar.com*** *शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पतेः-S-1,* ***सेकंड फ्लोर,झारखण्ड अपार्टमेंट,जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड,जयपुर*** *अथवा ईमेल :-**jawabdosarkar01@gmail.com** अथवा व्हाट्सअप न.* ***9828346151*** *पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|*